

8.1.26

च.प.अ. अनुपस्थित। न्यायालय समय के कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा
है। पत्रावली फैसला शूमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफतर हो।

H